



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1897

दिनांक-06.08.2025

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- निगोहा, आशियाना, पी0जी0आई0, हसनगंज, गोमतीनगर के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से किया गया निष्कासित (जिला बदर)-

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित विपक्षीय के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 की धारा-03 के तहत गुण्डा घोषित किया गया है।

क्र0सं0	थाना	नामपता विपक्षी जो जिलाबदर हुये	जिला बदर की अवधि
1	निगोहा	आशीष कुमार यादव उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र दिलीप कुमार यादव उर्फ छंगा निवासी- ग्राम मीरकनगर, थाना- निगोहा, लखनऊ	03 माह (थाना हाजरी)
2	आशियाना	अंकित रावत उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र गोपीचन्द्र रावत निवासी- 570/68क कासिमपुर पकरी, थाना-आशियाना, लखनऊ	03 माह (थाना हाजरी)
3	पी0जी0आई0	वैभव विशाल पाण्डेय उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र स्व0 पुनीत कुमार पाण्डेय निवासी-बरौली खलीलाबाद उतरठिया, थाना-पी0जी0आई0, लखनऊ	06 माह (थाना हाजरी)
4	हसनगंज	कृष्णा कश्यप उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र रंजीत कश्यप निवासी- 502/25 मुकारिम नगर, थाना- हसनगंज, लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)
5	गोमतीनगर	अमन यादव उर्फ रमन यादव उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र दिनेश यादव निवासी- ग्वारी गांव विकासखण्ड थाना-गोमतीनगर, लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1889

दिनांक 06.08.2025

महिला हेल्प डेस्क कर्मियों के लिए संवेदनशीलता, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण पर द्वि-दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित।

लखनऊ: महिला हेल्प डेस्क पीड़ितों के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु है, जहाँ पुलिस कर्मियों का संवेदनशील व्यवहार मामलों की गुणवत्तापूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों (जैसे घरेलू हिंसा, दहेज, यौन उत्पीड़न, पॉक्सो आदि) के मामलों में पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता और व्यावहारिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट लखनऊ से समस्त थानों के महिला हेल्प डेस्क पर कार्यरत समस्त महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक द्विदिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

पुलिस उपायुक्त, अपराध श्री कमलेश कुमार दीक्षित महोदय की अध्यक्षता एवं सहायक पुलिस आयुक्त, महिला एवं अपराध सुश्री सौम्या पाण्डेय के नेतृत्व में यह प्रशिक्षण 2 व 4 अगस्त 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन, संगोष्ठी सदन, कमिश्नरेट, लखनऊ में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मियों को कानूनी प्रक्रियाओं के साथ-साथ मानवीय दृष्टिकोण से परिचित कराया गया।

प्रमुख विवरण:

- **तिथि एवं समय:** 02 अगस्त एवं 04 अगस्त 2025, प्रातः 9:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक
- **स्थान:** रिजर्व पुलिस लाइन, संगोष्ठी सदन, कमिश्नरेट, लखनऊ
- **सहयोगी संस्था:** यूनिसेफ (UNICEF)

प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्य/ मुख्य बिंदु:

- **संवेदनशीलता और सहानुभूति:** पीड़ित महिलाओं और बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना, किसी भी पूर्वाग्रह के बिना पीड़ित की बात सुनना और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना एवं उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना।
- **विश्वास निर्माण:** ऐसा वातावरण बनाना जहां पीड़ित बिना किसी डर या झिझक के अपनी पूरी बात रख सके।
- **मनोवैज्ञानिक सहायता:** आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उचित मनोवैज्ञानिक सहायता या परामर्श के लिए मार्गदर्शन करना।
- **विशिष्ट मामलों की संवेदनशीलता:** घरेलू हिंसा, दहेज, विवाहेतर संबंध, यौन उत्पीड़न, पॉक्सो जैसे कानूनों के तहत मामलों को संभालने के लिए विशेष संवेदनशीलता और प्रक्रियाओं का पालन करना।

प्रशिक्षण का महत्व:

- महिला हेल्प डेस्क, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित मामलों में पहली संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करती है। ऐसे मामलों में पुलिस कर्मियों का व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
- कई बार कानूनी प्रक्रिया के दौरान संवेदनशीलता और उचित व्यवहार की कमी पीड़ितों को अपनी बात खुलकर कहने से रोकती है। ऐसे में उनका **संवेदनशील, धैर्यवान और सहायतापूर्ण** व्यवहार पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इस प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मियों को **मनोसामाजिक पहलुओं, कानूनी प्रावधानों और व्यवहारिक समाधानों** पर विस्तृत जानकारी प्रदान किया गया।
- इस प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से हेल्प डेस्क के कर्मियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाना है ताकि वे पीड़ितों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझते हुए उनसे बेहतर तरीके से बातचीत कर सकें।

प्रशिक्षकों में शामिल विशेषज्ञ:

- श्री रामायण यादव (प्रोफेसर एवं निदेशक, विज्ञान फाउंडेशन)
- सुश्री कुसलप्पा (निदेशक, सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन इन फील्ड प्रोटेक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, बैंगलोर)
- सुश्री निमिषा तिवारी (मनोवैज्ञानिक प्रैक्टिशनर एवं सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षक)
- सुश्री रिजवाना परवीन (मंडलीय तकनीकी संसाधन व्यक्ति, EVAWCH, यूनिसेफ)



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०-1891

दिनांक 06.08.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- दहेज हत्या का आरोपित अभियुक्त किया गया गिरफ्तार ।
- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम की सफलता ।

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री फतेह बहादुर सिंह पुत्र स्व० श्री इन्द्रजीत सिंह निवासी डी- 1360 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ के द्वारा दिनांक 05.08.2025 को तहरीरी सूचना दी गयी कि अनुराग सिंह (दामाद) जो कि मर्चेन्ट नेवी में सेकेन्ड ऑफीसर के पद पर नियुक्त है, के द्वारा वादी की पुत्री मधु सिंह को दहेज के लिए प्रताडित करना व वादी के पुत्री का गर्भपात कराने व दहेज के लिए वादी की पुत्री को मार देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर तत्काल मु०अ०सं० 697/2025 धारा 85/89/80(2)बीएनएस व ३/४डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था ।

विवेचना के क्रम में दिनांक 05.08.2025 को उपरोक्त मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी हेतु थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम का गठन किया गया था इन टीमों द्वारा आज दिनांक 06.08.2025 को अभियुक्त अनुराग सिंह को कारण गिरफ्तारी बताते हुए धारा 80(2)/85/89 बीएनएस व ३/४ डीपी एक्ट में मौके पर गिरफ्तार नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1.अनुराग सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी स्पलैश – ए /1103 ओमेक्स वाटर स्कैप थाना सु०गो०सिटी लखनऊ मूल निवासी ग्राम मंगतखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नावउम्र करीब 31 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1.मु०अ०सं० 697/2025 धारा 85/89/80(2)बीएनएस व ३/४डीपी एक्टथाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ

04-पूछताछ विवरण-

अभियुक्त अनुराग सिंह से पूछताछ की गयी तो बताया कि मेरा, मेरी पत्नी मधू सिंह से आये दिन वाद विवाद होता रहता था तथा दिनांक 03.08.2025 की रात्रि को भी मेरे द्वारा उससे वाद विवाद किया गया था ।

05-अभियुक्त का व्यवसाय-

अभि० अनुराग सिंह मर्चेन्ट नेवी मे नौकरी करता है ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम दक्षिणी जोन लखनऊ